

राजस्थान सरकार
निदेशालय मत्स्य विभाग, पशुधन भवन, टॉक रोड, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2(5)निम/लेखा/टेका/2021-22/14597
कार्यालय आदेश

जयपुर, दिनांक:- 24/11/2021

मत्स्य विभाग की ई-नीलामी बोली विज्ञप्ति क्रमांक एफ.2(4)निम/लेखा/टेका/2021-22/13167 दिनांक 25.10.2021 के द्वारा आमन्त्रित की गई ई-नीलामी बोलीओं के क्रम में प्राप्त "क" एवं "ख" श्रेणी के जलाशयों की वित्तीय बोलीओं को दिनांक 17.11.2021 को नीलामी बोली कमेटी के समक्ष ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से खोला गया।

निम्नांकित उच्चतम सफल बोलीदाताओं की नीलामी बोली को स्वीकार किया जाता है तथा बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि निविदत्त राशि की एक चौथान राशि (1/4 राशि) दिनांक 26.11.2021 को सायं 6.00 तक विभाग में जमा करावें।

उक्त एक चौथाई राशि विभाग में निम्न प्रकार से जमा करवाई जावेगी-

1. निदेशालय मत्स्य राजस्थान, जयपुर तथा लोकेशन जयपुर सचिवालय के अंतर्गत बजट मद 0405-00-011-00-00 (किराया) में चालान द्वारा।

नोट:- ई-ग्रास चालान के अलावा अन्य किसी माध्यम से राशि जमा नहीं की जावेगी।

क्र. सं.	जलाशय का नाम	वर्ष 2021-22 के लिए उच्चतम नीलामी बोली राशि	ठेकेदार/फर्म/कम्पनी का विवरण
1	जिला भीलवाड़ा बंध पचानपुरा	1001111/-	श्री कृष्ण पुत्र श्री जयभगवान सिंह, हालूवास, मजरा देवसर, हालूवास, भिवानी, हरियाणा। पिन 127021 मो. 9813297717
2	जिला पाली बंध मीठडी	1865000/-	श्री नरपत सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, 237, संतो का बास, सिवाना, रातडी, बाड़मेर। पिन 344021 मो. 8107919663
3	जिला बारां बंध बैतली	2651787/-	मैसर्स गायत्री कन्स्ट्रक्शन कंपनी (प्रो. श्री भगवान सिंह सोलंकी) श्रीराम मंदिर के पास, ग्राम व पो0 उन्हेल, तह. गंगधार, झालावाड़। पिन 326515 मो. 9785740293
4	जिला जालौर बंध बीठन	1414144/-	श्री हिम्मत सिंह चंपावत पुत्र श्री भगवान सिंह चंपावत, R.H.B. 1A4 (दिवान्दी हाउस) वार्ड न. 02, सिरौही। पिन 307001 मो. 8949340990

उपरोक्तानुसार निहित समय में ठेकेदार द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर नीलामी बोली की शर्तों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।


निदेशक

क्रमांक:-एफ.2(5)निम/लेखा/टेका/2021-22/
प्रतिलिपि:-

जयपुर, दिनांक:-

1. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय मत्स्य, जयपुर।
3. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/मत्स्य विकास/परियोजना अधिकारी।
4. कनिष्ठ विधि अधिकारी, मत्स्य विभाग राजस्थान जयपुर।
5. रोकड़पाल, निदेशालय मत्स्य, जयपुर।
6. सम्बन्धित मत्स्य ठेकेदार।
7. रक्षित पत्रावली।

॥
निदेशक